

बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-11/2018
प्रेषक :

2881

/कृ० पटना, दिनांक 23-5-2018

हिमांशु कुमार राय, गा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स जी०एम०एस० एग्रीटेक प्रा०लि०,
कोलकाता (प०ब०), चंदन नगर (गुण्डा चौक),
पो०-गुलाबबाग, थाना-सदर, प्रखंड-पूर्णियाँ पूर्व,
जिला-पूर्णियाँ।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञापति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 39/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 22/05/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 2881

/कृ०, पटना, दिनांक 23-5-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/, सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

पंजीव

B

4

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स जी० एम० एस० एग्रीटेक, प्रा०लि०, कोलकाता (प० ब०) द्वारा
बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 2881

दिनांक: 23/05/2018

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	ANNADA, NDR 97, PARIJAT, KHANDAGIRI, SATABDI (IET 4786), WGL 20471, RASI (IET 1444), KSHITISH (IET 4094), MTU 1010, GS 1, MTU 1001, PRATIKSHA, GS 3, IR 36, IR 64, LALAT, SARJU 52, SITA, PANTH 4, MTU 7029, SWARNA-SUB-1, SABITA (NC 492), RANJIT, BPT 5204, IET 5656, PANKAJ, CR 1030, SHAMLEE, BN 20, CR 1009, CR 1010, CR 1017, CR 1018, LUNISHREE, VARSHADHAN

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(Handwritten Signature)
22.5.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(Handwritten Signature)
20



FORM 'B'

(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 39/2018 Date 23/05/2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स जी०एम०एस० एग्रीटेक प्रा०लि०, कोलकाता (प०ब०), is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at चंदन नगर (गुण्डा चौक), पो०-गुलाबबाग, थाना-सदर, प्रखंड-पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णिया the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स जी०एम०एस० एग्रीटेक प्रा०लि०, कोलकाता (प०ब०), चंदन नगर (गुण्डा चौक), पो०-गुलाबबाग, थाना-सदर, प्रखंड-पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णिया	मेसर्स जी०एम०एस० एग्रीटेक प्रा०लि०, कोलकाता (प०ब०), चंदन नगर (गुण्डा चौक), पो०-गुलाबबाग, थाना-सदर, प्रखंड-पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णिया
पूरब - उमेश कुमार सिंह	पूरब - सड़क
पश्चिम - उमेश कुमार सिंह	पश्चिम - नीज
दक्षिण - सड़क	दक्षिण - सड़क
उत्तर - उमेश कुमार सिंह	उत्तर - नीज

Date : 23/05/2018Seal : 09/04/07 बीज/भू-11/2018 - 2881

Ankur
22/5/18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 22/05/2021 (22nd May 2021) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

De
20
20
20